


पत्र क्रमांक निर्वाचन-2019/ 257.....

दिनांक: 28/2/19

-:निविदा सूचना:-

लोक सभा आम चुनाव 2019 के लिये जिला चरखी दादरी में स्थानीय पंजीकृत तथा अनुभवी संस्थाओं/फर्मों से वैब कास्टिंग की प्रति दिन की दर पर चरखी दादरी जिला के लगभग 50 बुथों के लिए निविदाये आगामी लोक सभा चुनाव तक रेट कांट्रेक्ट हेतू आमंत्रित की जाती है।

प्राप्त निविदायें तीन बोली प्रणाली (Three Bid System) के आधार पर खोली जाएगी तथा अनुबंध पश्चात् आगामी लोक सभा आम चुनाव तक प्रभावी होंगे। सम्बन्धित नियम व शर्तें सरकारी वेबसाईट <https://Charkhidadri.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदायें/टेंडर दिनांक 28.02.2019 से दिनांक 06.03.2019 साय: 3:00 बजे तक कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी में जमा करवाणी होगी तथा दिनांक 06.03.2019 को साय: 4:00 बजे खोली जायेगी। वित्तीय निविदा एवं Technical Bid अलग अलग लिफाफे में जमा करनी होगी। लिफाफे पर फर्म का Address तथा Mob. No. अंकित होना चाहिये।


  
उपायुक्त एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
चरखी दादरी।


**Technical Bid:-**


- फर्म के पास जी.एस.टी. नं० होना चाहिए।
- फर्म शोप अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।
- फर्म की पिछले तीन साल की Turnover, Balance Sheet & Profit and Loss A/c जो Chartered Accountants से सत्यापित होनी चाहिये।
- फर्म की एक साल की Turnover 10 लाख या इससे अधिक होनी चाहिये।
- फर्म का PAN No. होना चाहिए।
- फर्म की तीन साल की इन्कम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए।
- फर्म ब्लैकलिस्टिड नहीं होनी चाहिए
- फर्म दिवालिया न हो इस बारे सर्टीफिकेट होना चाहिए।
- फर्म का उक्त कार्य मे तीन साल का सरकारी या अर्धसरकारी या निगम में कार्य का अनुभव होना चाहिए।


नोट:- उक्त सभी प्रकार के दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र साथ संलग्न करे।

कमेटी सदस्य

  
निर्वाचन कानूनगो  
चरखी दादरी।

  
लेखा अधिकारी  
हरियाणा परिवहन, च० दादरी


  
नगराधीश महोदय  
चरखी दादरी


  
उपायुक्त एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
चरखी दादरी।


लोक सभा आम चुनाव-2019 हेतु वैब कासटिंग हेतु नियम एवं शर्तः-


1. फर्म को चुनाव समाप्ति की तिथि तक कभी बुलाया जा सकता है।
2. वैब कासटिंग खराब होने पर फर्म को उसी समय अन्य उपलब्ध करवाना होगा।
3. वैब कासटिंग में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिये। वैब कासटिंग ठीक न होने की सूरत में इस कार्यालय द्वारा कोई अदायगी नहीं की जायेगी।
4. वैब कासटिंग के रेट प्रतिदिन के हिसाब से दर्शाये जाये।
5. वैब कासटिंग की गुणवत्ता (Quality) उच्च स्तर की होनी चाहिए।
6. वैब कासटिंग के सम्बन्ध में किसी प्रकार की लापरवाही बारे निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
7. टेडर फीस की राशि 2000/- रुपये जो कि नान रिफंडेबल है वह डिमांड ड्राफ्ट के रूप में Deputy Commissioner-Cum-District Election Officer, Charkhi Dadri के पक्ष में देय होगी।
8. तथा EMD को राशि 20,000/- रुपये रिफंडेबल के रूप में जमा करवाने होंगे जो कि Deputy Commissioner-Cum-District Election Officer, Charkhi Dadri के पक्ष में देय होगी।
9. धरोहर राशि 50,000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट सफल निविदाकार द्वारा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चरखी दादरी के पक्ष में जमा करवाना होगा।
10. उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी चरखी दादरी को किसी एक या सभी निविदायें बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

कमेटी सदस्य

  
निर्वाचन कानूनगो  
चरखी दादरी।

  
लेखा अधिकारी  
हरियाणा परिवहन, च0 दादरी

  
नगराधीश महोदय  
चरखी दादरी

  
उपायुक्त एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
चरखी दादरी।